न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/29/2020

अपीलार्थीः—

श्री सन्तोष मीना, 9/743 लोधी कालोनी
नई दिल्ली—11003

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

——:: निर्णय ::—— दिनांकः— 08.09.2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 03.01.20 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 13.04.2020 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. कोराना वायरस (Covid-19) वैश्विक महामारी से संक्रमण के मध्येनजर उक्त बीमारी के फैलाव की रोकथाम में अतिव्यस्तता के कारण पत्रावली का आज अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 718 दिनांक 19.06.20 के माध्यम से जबाव नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि आपका आवेदन दिनांक 03.01.20 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा पत्रांक लो.सू.अ./अन्तरण/2020/120—21 दिनांक 03.02.20 के माध्यम से तहसीलदार लक्ष्मनगढ को अन्तरित किया जा चुका है साथ ही अपील प्रा0पत्र के संदर्भ में पत्रांक 273—75 दिनांक 18.02.20 के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी लक्ष्मनगढ को सुनवाई हेतु अग्रेषित किया गया है। अपीलार्थी के अपीलीय प्रा0पत्र में वर्णित आराजी जिस पर अतिक्रमण है, के विरूद्व कार्यवाही तहसीलदार लक्ष्मनगढ के क्षेत्राधिकार का ही है, उक्तानुसार ही प्रकरण/अपील संबंधित कार्यालयों को अग्रेषित किये जाने बावत अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
6. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाता है। तथापि तहसीलदार लक्ष्मनगढ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 03.01.20 में वांछित सूचना बिन्दूवार अविलम्ब उपलब्ध करातें हुऐं पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के साथ तहसीलदार लक्ष्मनगढ को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज **दिनांक 08.09.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(आनन्दी)
जिला कलेक्टर,अलवर